रजिस्ट्री सं. डी (डी.एस.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 1991/भाद्र 25, 1913
No. 333] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 1991/BHADRA 25, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

(सी.पी.वी. प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 जून 1991

अधिसूचना

सा. का. नि. 586(अ)—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15) की धारा 24द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 1991 है ;

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची 1 में क्रम संख्या 7 और उसके सामने दी गई प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)
"7(क)	(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बम्बई (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई)	महाराष्ट्र राज्य (इसमें अकोला अमरावती, चान्द्रा चन्द्रपुर, गाडीबिरोली, औरंगाबाद, जालाना, लातूर, बुलधाना, नागपुर, नान्देड़, परभानी, वर्धा और येओतमाल जिले शामिल नहीं हैं) और संघ शासित क्षेत्र दमन और दादरा तथा नगर हवेली ।
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी बम्बई -- क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बम्बई,	--वही--
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई)	--वही--
	(घ) अधीक्षक, बम्बई (क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बम्बई)	--वही--
7(ख)	(क) पासपोर्ट अधिकारी नागपुर (पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर)	महाराष्ट्र राज्य में अकोला, अमरावती, चान्द्रा, चन्द्रपुर, गाडीबिरोली, औरंगाबाद, जालना लातूर, बुलधाना, नागपुर, नान्देड़, परभानी, वर्धा और येओतमाल जिले
	(ख) सहायक पासपोर्ट अधिकारी नागपुर (पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर)	--वही--
	(ग) जन सम्पर्क अधिकारी, नागपुर (पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर)	--वही--
	(घ) अधीक्षक नागपुर, (पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर)	--वही--

[सं. पी. वार/553/4/89]

प्यारे लाल, उप सचिव (पी.वी.ए.)

टिप्पणी:--मूल नियम भारत के राजपत्र, 1980 (असाधारण) के भाग-2 खण्ड 3 उपखण्ड (1) में 11 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 691 (ई) द्वारा प्रकाशित हुए बाद में अधोलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए ।

1 अधिसूचना सा. का. नि. 50 (ई) दिनांक 7-2-1981

2 अधिसूचना सा. का. नि. 469 (ई) दिनांक 26-6-1982

3 अधिसूचना सा. का. नि. 325 (ई) दिनांक 12-4-1983

IndiaCode

4 अधिसूचना सा. का. नि. 494 (ई) दिनांक 16-6-1983

5 अधिसूचना सा. का. नि. 345 (ई) दिनांक 29-3-1985

6 अधिसूचना सा. का. नि. 860 (ई) दिनांक 1-11-1985

7 अधिसूचना सा. का. नि. 857 (ई) दिनांक 15-10-1987

8 अधिसूचना सा. का. नि. 84 (ई) दिनांक 11-2-1988

9 अधिसूचना सा. का. नि. 1155(ई) दिनांक 8-12-1988

10 अधिसूचना सा. का. नि. 622 (ई) दिनांक 27-6-1990

11 अधिसूचना सा. का. नि. 653 (ई) दिनांक 20-7-1990

12 अधिसूचना अभी राजपत्र में प्रकाशित की जानी है।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(CPV Divsion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 1991

G.S.R. 586 (E).—In exercise of the powers confered by section 24 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely :

1. (1) These rules may be called the passports (Third Amendment) Rules, 1991;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette;

2. In Schedule I to the Passport Rules, 1980, for serial number 7 and entries dating thereto the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
"7(A) (a)	Regional Passport Officer, Bombay. (Regional Passport Office, Bombay.	The State of Maharashtra (excluding the Districts of Akola, Amraoti, Bhandra, Chandrapur, Gadchiroli, Osmanabad, Jalna, Latur, Buldhana, Nagpur, Nanded, Parbhani, Wardha and Yeotmal) and the Union Territory of Daman and Dadra and Nagar Haveli.
(b)	Assistant Passport Officer, Bombay. (Regional Passport Office, Bombay)	-do-

1		2	3
	(c)	Public Relations Officer, Bombay. (Regional Passport Office, Bombay).	-do-
	(d)	Superintendent, Bombay (Regional Passport Office, Bombay).	-do-
7(B)	(a)	Passport Officer, Nagpur (Passport Office, Nagpur)	The districts of Akola, Amraoti, Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli, Omanabad, Jalna, Latur Buldhana, Nagpur, Nanded, Parbhani, Wardha and Yeotmal in the State of Manarashtra
	(b)	Assistant Passport Officer, Nagpur. (Passport Office, Nagpur)	-do-
	(c)	Public Relations Officer, Nagpur. (Passport Officer, Nagpur)	
	(d)	Superintendent, Nagpur (Passport Office, Nagpur)	-do-

[No. V.IV/553/3/89]

PIARE LALL, Dy. Secy. (PVA)

Note : Principal rules published vide notification No. GSR 691(E) dated 11th December, 1980, Gazette of India, 1980 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i); Subseqnently amended by :

(i) Notification GSR 50 (E) dated 7-2-1981
(ii) Notification GSR 469(E) dated 2-6-1982.
(iii) Notification GSR 325 (E) dated 12-4-1983.
(iv) Notification GSR 494(E) dated 16-6-1983.
(v) Notification GSR 345 (E) dated 29-3-1985.
(vi) Notification GSR 860 (E) dated 1-11-1985.
(vii) Notification GSR 857 (E) dated 15-10-1987.
(viii) Notification No. GSR 84 (E) dated 11-2-1988.
(ix) Notification No. GSR 1155 (E) dated 8-12-1988.
(x) Notification No. GSR 622 (E) dated 27-6-1990.
(xi) Notification No. GSR 653(E) dated 20-7-1990.
(xii) Notification yet to be published in the Gazette.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

IndiaCode